न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2024

(GCMS 2024/48)(212790835254334)

श्री रमेश सेठी, –2/28 एसटीपीएस, कॉलोनी सूरतगढ़ मोबाईल नं. 94133–49640

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रमेश सेठी स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2024 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी, जो उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई और उसका प्रार्थना पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ को हस्तान्तरित कर दिया तथा अपीलीय अधिकारी के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए उसने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए देरी के लिए क्षतिपूर्ति हर्जाना राशि 25000/– उसे दिलवाने एवं सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रमेश सेठी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ1(14)सतर्कता/बैठक/21/ 7960 दिनांक 27/31.08.21 द्वारा वाद संख्या 4/2021 (सीमा सेठी अध्यापिका भोजेवाला R–2/28 STPS Colony सूरतगढ़) द्वारा कार्या. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को निर्देशित किया [illegible] निम्न प्रकार से है, "नियमानुसार आगामी बैठक से पूर्व प्रार्थी को विभाग से लाभ दिलवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया" कार्या. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की रिपोर्ट को सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाअ/2024/534 दिनांक 06.05.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रसांगिक पत्र के संलग्न प्रार्थी रमेश सेठी के अपील प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है।

प्रार्थी रमेश सेठी निवासी आर–2/28 एसटीपीएस कॉलोनी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रा.पत्र दिनांक 14.01.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ से होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /सूकाअ/2024/113 दिनांक 18.01.2024उ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मय पोस्टल ऑर्डर हस्तान्तरित किया गया था। जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 114 दिनांक 18.01.2024 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को भी दे दी गई थी।

प्रार्थी को नियमानुसार सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। प्रार्थी का दिनांक 25.01.2024 को इस कार्यलय में प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2024/235 दिनांक 14.02.2024 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई थी। प्रार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के विरूद्ध उक्त अपील गलत रूप से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील निरस्त करने की मेहरबानी फरमावें। उक्त प्रकरण शिक्षा विभाग से संबंधित है।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2024/113–114 दिनांक 18.01.2024 व 235 दिनांक 14.02.2024 की छायाप्रति पत्र के संलग्न सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:10 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाचार्य, राउमावि, भोजेवाला ने उपस्थित होकर अपने पत्र क्रमांक 33 दिनांक 06.05.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है : ,

> प्रार्थी श्री रमेश सेठी निवासी R–2/28 STPS कॉलोनी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के आरटीआई–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.01.20274 की अनुपालना में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के प्रेषित पत्र क्रमांक सूकाअ 2024/113 दिनांक 18.01.2024 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय रा.उ.मा. वि. द्वारा क्रमांक 2061 दिनांक 12.02.2024 को प्रेषित कर दी गई, जिसकी प्रति सम्बन्धित पत्र के साथ संलग्न है।

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** ने **प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र** अपने पत्र क्रमांक 113 दिनांक 18.01.2024 के **द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ को हस्तान्तरित कर दिया गया था और जिसकी प्रति** अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई गई थी। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ से सम्बन्धित के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु** मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़ **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2024 को द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:10 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर